**प्रेस नोट          पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद          दिनांक 25.05.2026**

## थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की विभिन्न घटनाओं को कारित करने वाला 10,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 25.05.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की विभिन्न घटनाओं को कारित करने वाला 10,000/- रुपये के इनामी अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र रामपाल निवासी तिलक कालोनी थाना सुभाष नगर जिला बरेली को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से चोरी के संबंध में थाना मुरादनगर पर 05 अभियोग पंजीकृत हैं। पूर्व में उपरोक्त घटनाओं में सम्मलित इसके साथी अभियुक्त अजय व वीर सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों अजय, वीर सिंह व संजय के साथ मिलकर पिछले साल मई में गाँव जलालपुर ढिंडार, जून में ग्राम डिडौली और ग्राम सुराना में दो अलग अलग घरों में और ग्राम रेवडा रेवड़ी में चोरी की थी, चोरी के माल को आपस में बाँट लिया था जो माल व पैसा मेरे हिस्से में आया था वह सब मैंने खर्च कर दिया है। आज मैं रेकी करने मुरादनगर में आया था कि पुलिस ने पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

नरेन्द्र उर्फ गंजा पुत्र रामपाल निवासी तिलक कालोनी थाना सुभाष नगर जिला बरेली, उम्र करीब 30 वर्ष

**वांछित अभियुक्त**

संजय पुत्र इन्द्रपाल निवासी मौहल्ला बागरानप थाना लोनी गाजियाबाद

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग**

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के संबंध में 05 अभियोग पंजीकृत हैं, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तारी करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

## थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 21.04.2026 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री नरेशपाल निवासी- ग्राम कादराबाद मोदीनगर, गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि विपक्षी आकाश मोगा द्वारा वादी के बेटे अभिषेक पर जानलेवा हमला करना व वादी के वाहन को क्षतिग्रस्त कर देना जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर

पर तत्काल सुसंगत धारा- 115(2)/351(3)/324(5) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। दौराने विवेचना प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर उक्त अभियोग में धारा- 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

दिनांक 24.05.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश मोगा पुत्र अरुण मोगा निवासी ग्राम कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद को थाना मोदीनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त नुकीली लोहे की बलकटी को बरामद किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा व वादी पक्ष का आपस में काफी समय से झगडा चल रहा था, वादी पक्ष द्वारा पूर्व में भी हमारे पक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा रखा है, घटना के दिन इसी बलकटी से मैंने अभिषेक पर जान से मारने की नियत से हमला किया था और असफल होने पर गुस्से में आकर इसी से मैंने उसकी बाईक तोडी थी। यह बलकटी मैंने एक वेल्डिंग करने वाले मिस्त्री से बनवायी थी तथा अपने घर में ही इसको छुपा कर रखा हुआ था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

आकाश मोगा पुत्र अरुण मोगा निवासी ग्राम कादराबाद थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण-** घटना में प्रयुक्त 01 नुकीली लोहे की बलकटी, 01 लोहे की बलकटी की टूटी नुकीली पत्ती बरामद तथा अभियुक्त से बरामद बाईक सीज की गई।

**आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-**

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, इससे पूर्व अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर आबकारी अधि0 का 01 अभियोग व मारपीट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

## कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक निरी0 श्री राजीव सिंह थाना

मोदीनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं 'कन्विक्शन सेल' से सतत समन्वय के साथ विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना मोदीनगर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 376एबी भादवि व 5/6 पोक्सो अधि0 में अभियुक्त सचिन पुत्र जसवन्त सिंह नि0 गली न0 03 बिसोखर रोड बाल्मीकि वाली गली, थाना मोदीनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ अपर सत्र न्यायाधीश गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 25.05.2026 को धारा- 6 पॉक्सो अधि0 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादिया की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ खण्डहर जगह में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में दिनांक 07.07.2023 को थाना मोदीनगर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

| | | |
| --- | --- | --- |
| **श्री उत्कर्ष वत्स**<br>विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) | **म0मु0आ0 प्रवेशपाल**<br>पैरोकार कन्विक्शन सेल | **म0आरक्षी सोनिया**<br>पैरोकार थाना मोदीनगर |

# थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा मारपीट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

**कार्यवाही का विवरण:-** दिनांक 25.05.2026 को थाना खोडा पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि दिनांक 24.05.2026 की रात्रि में कुछ व्यक्तियों ने वादिया के घर आकर वादिया व परिवारीजनों के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोडा पर धारा 115(2)/191(2)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 25.05.2026 को थाना खोडा पुलिस टीम द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं अपराध की रोकथाम के मद्देनजर 02 अभियुक्त 1.हवीव खान पुत्र श्री कादिर खान उम्र करीब 42 वर्ष 2.कौशर खान पुत्र स्व0 श्री कादिर खान निवासी 21/266 नूरानी मस्जिद के पीछे थाना कल्याणपुरी नई दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष को धारा 170 बीएनएस के अन्तर्गत वन्दना एक्लेव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण:-** गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त कौशर ने बताया कि उसकी बेटी रोशनी ने अब से करीब डेढ माह पहले कुणाल से लव मैरिज कर ली थी और वन्दना एन्कलेव खोड़ा में रह रहे हैं। हम लोग इस शादी से खुश नहीं थे। हम लोग अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए आये थे। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने बेटी को ले जाने से मना कर दिया था। बेटी भी जाने को राजी नहीं थी। जिस कारण हम लोग आवेश में आ गये थे। आपस में कहासुनी होने पर मारपीट हो गयी थी। साहब गलती हो गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. हवीव खान पुत्र श्री कादिर खान निवासी 21/266 नूरानी मस्जिद के पीछे थाना कल्याणपुरी नई दिल्ली उम्र करीब42 वर्ष।
2. कौशर खान पुत्र स्व0 श्री कादिर खान निवासी 21/266 नूरानी मस्जिद के पीछे थाना कल्याणपुरी नई दिल्ली उम्र करीब 46 वर्ष।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-**

गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना खोडा पर उक्त सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

थाना खोडा पुलिस टीम।